न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 88/2023

अनवान : –

1. मांगेराम पुत्र हरदेवा जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– सायल

बनाम्

1. सुलतान पुत्र मूलाराम मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर–फौत
   - 1/a जगदीश पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - 1/b राजेन्द्र पुत्र सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - 1/c लिलावती पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - 1/d मुर्ति पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - 1/e कृष्णा पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - 1/F सावित्री पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - F/1 विनोद पुत्र सावित्री पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - F/2 पंकज पुत्री सावित्री पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
   - F/3 किशारी पुत्री सावित्री पुत्री सुलतान जाति मेघवाल निवासी बडबिराना तहसील नोहर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
3. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– गैरसायालान

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **सायल**
2. श्री हरिसिह सिहाग **गैरसायल**

निर्णय दिनांक: 13/9/23

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 338/308 की कुल 17.4270 हैक्ट भूमि में से सायल का 19363/87135 हिस्सा व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 का 12909/58090 सहखातेदारी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 360/333 के खसरा न0 188 की 1.7700 हैक्ट भूमि प्रतिवादी स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खसरा न0 188 की 7 बीघा भूमि सायल के पिता हरदेवा पि0 मु0 जेसा के जमाबंदी सम्वत 2029–38 के विशेष विवरण में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि सायल के पिता हरदेवा के कब्जा काश्त में चली आ रही थी बाद में सायल व प्रतिवादी स0 2 के कब्जा काश्त में चली आ रही है तथा उपरोक्त भूमि सायल के पित की कब्जा काश्त की भूमि थी जिसको गैरसायल संख्या 1 ने राजस्व कर्मचारियों अधिकारियों से मिलीभगत करके भू सैटलमेण्ट अधिकारी से मिलकर अपने नाम दर्ज करवा ली जो कि विधि विरूद्ध है।

खसरा न0 188 की 1.7700 हैक्ट भूमि जो कि सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 की खातेदारी कृषि भूमि के खसरा न0 189 की चिपती हुई भूमि है जो की आज तक सायल तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 के कब्जा काश्त में चली आ रही है एवं राजस्व रिकार्ड में खसरा न0 188 की 1.7700 हैक्ट भूमि गैरसायल संख्या 1 ने अनुचित तरीके से अपने नाम दर्ज करवा ली तथा अब खसरा न0 188 में सायल व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 4 को कब्जे से बेदखल करना चाहता है। इसलिए गैरसायल संख्या 1 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द करा पाने का अधिकारी है कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा न0 188 की 1.7700 हैक्ट भूमि में सायल के कब्जा काश्त में प्रवेश ना करें, सींव डोल ना तोड़े तथा भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल ना करें तथा मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के खाता संख्या 360/333 के खसरा न0 188 की 1.7700 हैक्ट एवं खसरा न0 189 की 6.0070 हैक्ट वाद भूमि की अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई कि अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाए रखे। अधिवक्ता वादी द्वारा आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो स्वीकार किया गया। संशोधित शिर्षक पेश किया जो कि शामिल मिसल किया।

अप्रार्थीगण स0 1/a ता F/3 की ओर से जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र की मदों को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया की खसरा न0 188 की भूमि में सायल का कोई सरोकार नही है तथा न ही सायल का कभी कब्जा काश्त मे रही है। यह भूमि गैरसायल को सन 1978 से आवंटन शुदा कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि है तथा गैरसायल की उक्त खसरा में ढाणी भी बनी हुई है। उक्त वाद भूमि गैरसायल सुलतान को मजमें आम में बडबिराना में प्रशासन गांव के संग अभियान में राजकीय खाली कृषि भूमि होने के कारण पटवारी व अमलाऐं माल की रिपोर्ट ली जाकर आवंटन कमेटी द्वारा आवंटन की गई है और हमारे कब्जा काश्त में है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है उक्त वाद भूमि अप्रार्थी सुलतान को अन्तयोदय योजना में चयनित होने के कारण आवंटन कमेटी द्वाररा दिनांक 04.05.1978 को आवंटन की गयी थी। जबकि सायल के पक्ष में इस भूमि के संबंध में किसी भी राजस्व अधिकारी अभिलेख जमाबंदी में कोई अंकन नही है और नही भू प्रबन्धक विभाग को पूर्व का अंकन बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बदलने का अधिकार होता है। ख0न0 188 की वाद भूमि गै[illegible] की आवंटन शुदा कब्जा काश्त की भूमि है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी [illegible] किसी भी राजस्व रिकार्ड में अभिलिखित खातेदार काश्तकार [illegible] निषेधाज्ञा जारी नही कि जा सकती है यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

विधि मान्य सर्व समस्त कानून है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र सायल खारिज फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? खसरा न0 188 की 1.7700 हैक्ट भूमि का अप्रार्थीगण का पिता मृतक सुलतान खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि सुलतान पुत्र मुलाराम जाति चमार निवासी बडबिराना को उक्त भूमि आवंटन शुदा है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण की चित्रप्रति से स्पष्ट है कि उक्त वाद भूमि पहले सिवाय चक दर्ज थी जो कि आवंटन आदेश 04.05.78 के द्वारा अप्रार्थीगण के मृतक पिता सुलतान के नाम नामान्तरण दर्ज हुआ था। उक्त दस्तावेजनों के खंडन में प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। वर्तमान में वाद भूमि अप्रार्थीगण के पिता मृतक सुलतान के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अतः रिकार्डेड खातेदार को निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी कों। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम काबिल खारिज होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 13/9/23 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:48:07 IST
Reason: SelfAttested